इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 मई 2013—वैशाख 25, शक 1935

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2013

क्र. एफ 17-7-2010-बी-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 11 द्वारा विनियम बनाने कि प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 15 मई 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम के विनियम प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कार्यकारी समिति, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विनियम, 2012 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012);

(ख) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, कार्यकारी समिति का अध्यक्ष;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित कार्यकारी समिति;

(घ) ''प्रबंध संचालक'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का प्रबंध संचालक, जो कार्यकारी समिति का सदस्य-सचिव होगा;

(ङ) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित किए गए हैं.

3. **कार्यकारी समिति का सम्मिलन.**—(1) समिति, अपने कामकाज के सम्पादन के लिये जैसा आवश्यक हो, किन्तु एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी.

(2) सम्मिलन, जहाँ तक संभव हो भोपाल अथवा ऐसे अन्य स्थान पर ऐसी तारीख को होगा, जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे.

(3) समिति के सम्मिलन की गणपूर्ति तीन होगी.

(4) समिति के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता, उस अवसर के लिये उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी.

(5) समिति का सदस्य सचिव, कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, जो यथा स्थिति अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो, के उचित अभिलेख तथा संधारण के लिये उत्तरदायी होगा.

(6) समिति के सम्मिलन में उद्भूत होने वाले प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर-बराबर होने के प्रत्येक मामले में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

4. **कार्यकारी समिति की शक्तियां तथा कृत्य.**— समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो कि अधिनियम में अधिकथित हैं और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो नियमों में विहित किए जाएं.

5. **लेखे.**— (1)प्रबंध संचालक, ऐसी उचित लेखा पुस्तकें संधारित करवाएगा जो वर्ष के दौरान की सभी प्राप्तियां तथा किए गए भुगतान दर्शित करेगा.

(2) प्रबंध संचालक, वार्षिक लेखा विवरणी और तुलनपत्र ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो कि भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार होंगे. निधि का लेखा वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल से मार्च तक के लिये तैयार किया जाएगा.

6. **संपरीक्षा.**—(1) निधि के लेखों की संपरीक्षा, समिति द्वारा नियुक्त किए गए संपरीक्षक द्वारा की जायेगी.

(2) संपरीक्षित लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, संपरीक्षित लेखा प्रबंध संचालक द्वारा वार्षिकी प्रति वर्ष राज्य सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे. सरकार अधिनियम के उपबंधों द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन्हें प्रति वर्ष विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

No. F 17-7-2010-B-XIX.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Rajmarg Nidhi Adhiniyam 2012 (No. 18 of 2012), the State Government hereby appoints 15 May 2013 as the date on which the Regulation of the said Act shall come into force.

In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Rajmarg Nidhi Adhiniyam, 2012 (No. 18 of 2012) the Executive Committee, hereby, makes the following Regulation, namely :—

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Madhya Pradesh Rajmarg Nidhi Regulations, 2012.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Rajmarg Nidhi Adhiniyam, 2012 (No. 18 of 2012);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Executive Committee;

(c) "Committee" means executive committee constituted under Section 5 of the Act;

(d) "Managing Director" means the Managing Director of the Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited, who shall be a Member Secretary of Executive Committee;

(e) "Section" means Section of the Act;

(f) Words and expressions used but not defined in these Regulation shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Meeting of Executive Committee.**—(1) The Committee shall meet at such time for the transaction of its business, as may be necessary but at least once in as financial year.

(2) The meeting shall be held as far as possible at Bhopal or at such other places on such date as the Chairman may decide.

(3) The quorum for a meeting of the committee shall be three.

(4) Every meeting of the committee shall be presided over by the Chairman and in his absence by a member to be chosen by the members present to preside for the occasion.

(5) The Member-Secretary of the Committee shall be responsible for the proper record and maintenance of the minutes of the proceedings duly countersigned by the Chairman or the person presiding, as the case may be.

(6) Question arising at a meeting of the committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting and in every case of equality of votes the Chairman or the person presiding shall have a casting vote.

4. **Power and Functions of Executive Committee.**—The committee shall exercise such powers and discharge such functions as are laid down in the Act and perform such duties as may be prescribed in the rules.

5. **Accounts.**—(1) The Managing Director shall cause to be maintained proper books of accounts showing all receipts and payment made during the year.

(2) The Managing Director shall prepare annual statements of accounts and balance sheet in such form shall be in accordance with the generally accepted accounting principles (Indian GAAP). The Account of Fund shall be prepared for the Financial Year i. e. April to March.

6. **Audit.**—(1) The Accounts of the Fund shall be audited by the Auditor appointed by the Committee.

(2) The audited accounts together with audit report shall annually be forwarded to the State Government by the Managing Director. The Government shall cause the same to be laid annually on the table of the Legislative Assembly as required by provisions of the Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय सिंह वर्मा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.